



भारतीय संविधान और शिक्षा सम्बन्धी प्रावधान: एक विवेचना

सुशीला देवी

व्याख्याता , शिक्षाशास्त्र

सार

भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्प कार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के शताब्दि वर्ष में संविधान दिवस 26 नवम्बर का महत्व बढ़ गया है। संविधान सभा ने 26 नवम्बर 1949 को संविधान को स्वीकृत किया था जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। संविधान बनाते समय इसके रचनाकारों के मन में यह विचार अवश्य ही रहा होगा कि भावी भारत का निर्माण उसकी कक्षाओं में होने वाला है। इसी कारण भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से शासन को निर्देशित करते हुए देश की शिक्षा व्यवस्था को रूप देने का प्रयास किया है। जब हम 2015 का संविधान दिवस मना रहे हैं तब देश में नए स्वभाव की सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति लिखि जा रही है।

मुख्य शब्द : भारतीय, संविधान, शताब्दि, अनुच्छेद इत्यादि ।

प्रस्तावना

स्वर्गीय गोपाल कृष्ण गोखले ने 18 मार्च 1910 में भारत में 'मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा' के प्रावधान के लिए ब्रिटिश विधान परिषद् के समक्ष प्रस्ताव रखा था, मगर वह पारित होकर कानून नहीं बन सका। स्वतन्त्र भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 द्वारा जीवन तथा वैयक्तिक स्वतन्त्रता के संरक्षण का प्रावधान किया गया है शिक्षा व्यवस्था उसी का परिणाम है। अनुच्छेद 28 राजकीय शिक्षा संस्थानों में धर्म की शिक्षा को निषेध करने के साथ सहायता व मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थानों में दी जा रही धार्मिक शिक्षा में अनुपस्थित रहने की स्वतन्त्रता विद्यार्थी को देता है। अनुच्छेद 29 भारत के सभी नागरिकों को भाषा, लिपि व संस्कृति को संरक्षित करने के साथ ही धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा के किसी भेदभाव के बिना किसी शिक्षा संस्थान में भर्ती होने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 30 भाषा या धर्म के आधार पर अल्प संख्यकों को अपने शिक्षा संस्थान खोलने व उनका प्रबन्ध करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 41 में राज्य को उसकी आर्थिक सामर्थ्य व विकास की सीमाओं के भीतर रहते हुए शिक्षा पाने में नागरिकों का सहायता देने को कहता है। अनुच्छेद 45 में संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने का निर्देश शासन को दिया था। अनुच्छेद 46 शासन को निर्देश लेता है कि वह अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा पिछड़े वर्ग की शिक्षा हेतु विशेष व्यवस्था करे। अनुच्छेद 337 अग्लो-इंडियन समुदाय की शिक्षा के लिए विशेष अनुदान देने को कहता है। अनुच्छेद 350 अ प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध को कहता है। अनुच्छेद 351 हिन्दी के विकास की बात करता है। शिक्षा समवर्ती सूची में होने के कारण केन्द्र व राज्य दोनों का ही विषय है। संविधान की सातवीं अनुसूची के



अनुसार तकनीकी एवं चिकित्सा शिक्षा सहित सम्पूर्ण शिक्षा, राष्ट्रीय महत्व के कुछ विशिष्ट शिक्षा संस्थानों को छोड़ कर, राज्य का विषय है।

भारतीय संविधान में शिक्षा सम्बन्धी प्रावधान

1. शिक्षा Education को समवर्ती सूची Concurrent List में रखा गया है -

भारत गणराज्य के संविधान Constitution में तीन अलग अलग सूचियां हैं -

(i) संघ सूची Union List

इस सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्रीय सरकार को है।

(ii) राज्य या प्रान्तीय सूची State List

इस सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को है।

(iii) समवर्ती सूची Concurrent List

इस सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र एवम् राज्य सरकार दोनों को है।

प्रारम्भ में शिक्षा Education प्रान्तीय या राज्य सूची State List में थी। 1976 में 42 वें संविधान संसोधन Constitution revision द्वारा शिक्षा education को समवर्ती सूची concurrent List में शामिल किया गया। तब से शिक्षा Education की व्यवस्था करना केंद्र और प्रांतीय सरकारों दोनों की responsibility है।

2. जन्म से 6 वर्ष तक के शिशुओं की देखभाल और शिक्षा Education की व्यवस्था

सन् 2002 में संविधान Constitution में 86 वा संसोधन revision हुआ जिसमें अनुच्छेद 45 में यह परिवर्तन किया गया की - राज्य सभी बच्चों को जब तक को वे 6 वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले, बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करेगा।

3. 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों की अनिवार्य एवम् निशुल्क शिक्षा Free Education की व्यवस्था

2002 के 86वें संविधान संसोधन अधिनियम Constitution revision के अनुसार अनुच्छेद 21A जोड़ा गया जिसमें - राज्य 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्य एवम् निशुल्क व्यवस्था करेगा। साथ ही एक संसोधन यह भी किया गया की प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है की वह माता पिता या अभिभावक के रूप में 6 से 14 आयु वर्ग के अपने बच्चों अथवा आश्रितों को शिक्षा Education के अवसर प्रदान करे। इस दिशा में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 Right To Education Act 2009 भी अहम है जिसे हम अपनी अगली पोस्ट में पढ़ेंगे।

4. शिक्षा Education संस्थाओं में प्रवेश के समान अधिकार



संविधान Constitution के अनुच्छेद 29(2) में यह व्यवस्था की गई - राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी भी शिक्षा संस्था में किसी भी नागरिक को धर्म, मूल वंश अथवा जाति के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा।

5. स्त्री शिक्षा women Education की विशेष व्यवस्था

संविधान Constitution के अनुच्छेद 15(3) में यह व्यवस्था की गई - इस अनुच्छेद की किसी भी बात से राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई उपबंध बनाने में कोई बाधा नहीं होगी।

6. समाज के कमजोर वर्ग जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा Education की विशेष व्यवस्था

संविधान Constitution के अनुच्छेद 17 द्वारा सर्वप्रथम छुआछूत को समाप्त किया गया उसक बाद अनुच्छेद 46 में यह व्यवस्था की गई है - राज्य जनता के कमजोर वर्गों, विशेषतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा और सामाजिक अन्याय और सब प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगा।

7. अल्पसंख्यकों की शिक्षा education की विशेष व्यवस्था

संविधान Constitution के अनुच्छेद 30(1) के अनुसार - धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रूचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।

संविधान Constitution के अनुच्छेद 30(2) के अनुसार - शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी विद्यालय के विरुद्ध इस आधार पर भेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबन्ध में है।

8. मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा

संविधान के अनुच्छेद 350(A) के अनुसार प्रत्येक राज्य और प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी Local Authority का यह दायित्व है कि वह भाषायी दृष्टि से अल्पसंख्यकों के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा की समुचित सुविधायें उपलब्ध कराये।

9. धार्मिक शिक्षा पर रोक

संविधान के अनुच्छेद 28 के अनुसार पूर्ण रूप से राज्य विधि द्वारा पोषित किसी भी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जायेगी।

और अनुच्छेद 22 के अनुसार राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्था में बच्चों को किसी धार्मिक उपासना में उपस्थित होने में बाध्य नहीं किया जाएगा।

10 राष्ट्र भाषा हिंदी का विकास



संविधान Constitution के अनुच्छेद 343 में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है तथा अनुच्छेद 351 में इसके विकास के लिए विशेष परिवर्तन करने की व्यवस्था की गई है।

उपसहर

भारत में यह बदलाव इसलिए आ रहा है, क्योंकि शिक्षा को महलों में ले जाने की कोशिश बढ़ी है और शिक्षालय महल बनते जा रहे हैं। जिस भारतीय परंपरा में राजकुमार को भी झोंपड़ी में जाकर पढ़ाई करनी होती थी, वहां ऐसे बदलावों पर सवाल उठने लगे हैं। लेकिन अब भी बड़ी संख्या में बच्चे बजट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। निसा के मुताबिक अकेले दिल्ली में ही करीब तीन लाख बच्चे गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ते हैं। अब ऐसे स्कूलों पर बंदी का खतरा बढ़ गया है और साथ ही इनमें पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य पर भी आशंका के बादल मंडराने लगे हैं। स्कूलों के बंद होने पर इनमें पढ़ने वाले बच्चों के सामने सरकारी स्कूलों में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा जहां वास्तव में उनके अभिभावक भेजना नहीं चाहते थे। इन्हीं सब वजहों को लेकर निसा ने सात अप्रैल को दिल्ली चलो अभियान की शुरुआत की और एक दिन के लिए रामलीला मैदान में धरना दिया। निसा की मांग है कि गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए बजट स्कूलों को छूट दी जाए। शिक्षा को गुणवत्ता युक्त बनाने पर जोर हो, ना कि उसे फाइव स्टार संस्कृति में ढालने की व्यवस्था की जाए। स्कूल वाहनों को एंबुलेंस की तरह रास्ता देने, अध्यापकों को आयकर के दायरे से मुक्त करने और बच्चों को सीधा कैश ट्रांसफर के जरिए फंडिंग करने की मांग की जा रही है। आंदोलनकारियों का तर्क है कि भारतीय परंपरा की नींव पर आगे बढ़कर हर बच्चे को शिक्षा मुहैया कराने का सपना पूरा किया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- [1] मसूर एफई. (1995). 'इन्फेन्ट्स' अर्ली वर्बल इमिटेशन एंड देयर लेटर लेक्सिकल डेवलपमेंट. मेरिल-पाल्मर क्वाटर्ली, 41, 286-306. OCLC 89395784
- [2] गथेकोले एसई. (2006). नॉन वर्ड रिपिटिशन एंड वर्ड लर्निंग: दी नेचुरल ऑफ दी रिलेशनशिप. एप्लाइड साइकोलिंग्विस्टिक्स 27: 513-543. doi:10. 1017. S01 42
- [3] Stern DN (1990), Diary of a Baby, Harmondsworth: Penguin
- [4] Ingram D (1999), "Phonological acquisition", प्रकाशित Barrett M, The Development of Language, London: Psychology Press, पृ० 73-97
- [5] Bruner JS and Lucariello J, "Monologue as narrative recreation of the world", प्रकाशित Nelson K, Narratives from the Crib, Cambridge MA: Harvard University press
- [6] Bruner JS (1990). Acts of Meaning. Cambridge MA: Harvard University Press.



- [7] Pan B and Snow C (1999), "The development of conversational and discourse skills", प्रकाशित Barrett M, The Development of Language, London: Psychology Press, पृ० 229–50
- [8] Gleitman LR (1990), "The structural sources of verb meaning", Language Acquisition, 1: 3–55, डीओआइ:10.1207/s15327817la0101_2.